CORBETT TIGER RESERVE

—: विज्ञप्ति :—

कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर में पर्यटन सत्र 2017–18 हेतु हल्के वाहनों (जिप्सी 4x4 वाहन) का पंजीकरण किया जाना है। इस वर्ष वाहनों का पंजीकरण माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट संख्या 2632/2016 (M/S) प्रेम सिंह मेहरा एवं अन्य बनाम राज्यादि में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2017 व तदोपरान्त दायर विशेष अपील संख्या 541/2017 पवनपुरी एवं अन्य बनाम प्रेम सिंह मेहरा एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2017 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 628/29–1 देहरादून दिनांक 05 सितम्बर 2017 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु वाहनों के पंजीकरण विषयक जारी किये गये संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उक्त निर्णय के अनुपालन में समस्त अर्ह वाहन स्वामियों/वाहन चालकों से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्बेट टाइगर रिजर्व के स्वागती कार्यालय, रामनगर से प्राप्त किये जा सकते है। उक्त आवेदन पत्र को कार्बेट टाइगर रिजर्व की website www.corbettonline.uk.gov.in एवं उत्तराखण्ड वन विभाग की website www.forest.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सम्पूर्ण संलग्नकों सहित आवेदन पत्र पूर्ण कर स्वागती कार्यालय, रामनगर में जमा करने की अंतिम तिथि 20.09.2017 के सांय 5 बजे तक है। उक्त समय सीमा के पश्चात् कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही किया जायेगा।

(शिवराज चन्द)
पार्क वार्डन/उप प्रभागीय वनाधिकारी, बिजरानी
कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर।

कार्यालय, निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक 66 / 29–1 रामनगर, दिनांक, सितम्बर, 7 2017।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उप निदेशक महोदय, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर।

2– विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में **न्यूनतम साईज** में प्रकाशित कर बिल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

3– विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में **न्यूनतम साईज** में प्रकाशित कर बिल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

4– विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दुस्तान, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में **न्यूनतम साईज** में प्रकाशित कर बिल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

(शिवराज चन्द)
पार्क वार्डन/उप प्रभागीय वनाधिकारी, बिजरानी
कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर।

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका सं0 2632/2017 **(M/S)**प्रेम सिंह मेहरा एवं अन्य बनाम राज्यादि में पारित निर्णय दिनांक 5.07.17 व उसके सापेक्ष दायर वि ोश अपील संख्या 541 / 2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2017 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 628/29–1 देहरादून दिनाक 05 सितम्बर 2017 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु वाहनों के पंजीकरण (वर्श 2017–18) विषयक जारी किये गये संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार पर्यटन सत्र–2017–18 हेतु जिप्सी वाहनों के पंजीकरण हेतु आवेदन।

आवेदन पत्र (वर्ष 2017–18)

कार्बेट टाईगर रिजर्व रामनगर (नैनीताल)।

1. वाहन/जिप्सी स्वामी का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. वाहन/जिप्सी स्वामी का पता ....

अ– स्थाई ....

....

ब– अस्थाई (पत्राचार पता) ....

....

स– फोन न0/मोबाइल न0.. .

स्वयं प्रमाणित
नवीनतम फोटो

यदि आवेदक एक से अधिक वाहनो के पंजीकरण हेतु आवेदन कर रहा है तो निम्नलिखित तालिका मे वाहनों के पंजीकरण हेतु वरीयता क्रम अंकित करें – (प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु 16 के अनुसार)

क्र0सं0	वाहन संख्या	वरीयता क्रम संख्या

वाहन/जिप्सी संबन्धी सूचना–

अ– वाहन का पंजीकरण संख्या (परिवहन विभाग उत्तराखण्ड आर0सी0 के अनुसार) .... प्रदूषण मानक–यूरो नं0 के समक्ष बॉक्स में सही के निशान से टिक करें

भारत स्टेज–2 ☐ भारत स्टेज–3 ☐ भारत स्टेज–4 ☐

ब– टैक्सी परमिट संख्या – ....वैध अवधि कब से ....कब तक ....

स– बीमा प्रपत्र ....वैध अवधि कब से ....कब तक ....

द– प्रदूषण प्रमाण पत्र ....वैध अवधि कब से ....कब तक..............................

य– वाहन/जिप्सी का प्रकार ....इंन्जन नम्बर ....

र–चैचिस नम्बर ....उत्पाद वर्ष/मॉडल ....यात्री क्षमता..............................

नोटः– बिन्दु संख्या ब, स, द, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्पूर्ण वर्ष के लिए ही मान्य होगे, यदि उक्त प्रमाण पत्र पंजीकरण अवधि में कालातित होते है तो उनको तत्काल नवीनीकरण कराकर उसकी सत्यापित छायाप्रति कार्बेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय में जमा कराने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उक्त प्रमाण पत्रों की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्रो की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें जो स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने आदि के लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा ऐसा पाये जाने पर उसके विरूद्व तत्काल विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

वाहन/जिप्सी चालको के पंजीकरण सम्बन्धी वांछित सूचना

(यदि उक्त वाहन कार्बेट टाइगर रिजर्व में तीन वर्ष से कम पंजीकृत हुआ है तो वाहन चालक के पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन चालन का न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव अनिवार्य होगा।)

4. (अ). प्रथम चालक का नाम ....पिता/पति का नाम..............................आयु..............................

जन्मतिथि (लाइसेस मे अंकित विवरण के अनुसार)..............................

चालक का पता – अ– स्थाई ....

ब– अस्थाई ....

ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण ....फोन/मोबाईल नं0..............................

स्वयं प्रमाणित
नवीनतम फोटो

(ब). द्वितीय चालक का नाम ....पिता/पति का नाम..............................आयु..............................

जन्मतिथि (लाइसेस मे अंकित विवरण के अनुसार)..............................

चालक का पता – अ– स्थाई ....

ब– अस्थाई ....

.ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण .... फोन/मोबाईल नं0..............................

स्वयं प्रमाणित
नवीनतम फोटो

5. किसी राजपत्रित अधिकारी /सम्मानित व्यक्ति द्वारा जारी किये गये उक्त जिप्सी चालकों के दो चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये, जो छः माह से अधिक पुराने न हों तथा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी/सम्मानित व्यक्ति का नाम व मुहर स्पष्ट होनी चाहिए।

6. वाहन चालक का कार्बेट टाइगर रिजर्व में पंजीकरण का वर्षवार विवरण*(निम्नलिखित तालिका में प्रत्येक वर्ष का विवरण दें तथा जिस वर्ष वाहन पंजीकृत नही हुआ है उसमें ''पंजीकृत नही' अनिवार्यतः लिखें।)*

(अ) प्रथम वाहन चालक

क्र. सं0.	पंजीकरण वर्ष कार्बेट टाइगर रिजर्व के अर्न्तगत	पंजीकृत वाहन संख्या (आर0टी0ओ)	कार्बेट टाइगर रिजर्व की पंजीकरण संख्या (चिट संख्या)
1	11—12		
2	12—13		
3	13—14		
4	14—15		
5	15—16		
6	16—17		

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी अन्य वाहन पर प्रथम वाहन चालक हेतु आवेदन नही किया गया है।

प्रथम जिप्सी चालक का नाम व हस्ताक्षर
दिनांक :......................... स्थान ....

(ब) द्वितीय वाहन चालक

क्र. सं0.	पंजीकरण वर्ष कार्बेट टाइगर रिजर्व के अर्न्तगत	पंजीकृत वाहन संख्या (आर0टी0ओ)	कार्बेट टाइगर रिजर्व की पंजीकरण संख्या (चिट संख्या)
1	11—12		
2	12—13		
3	13—14		
4	14—15		
5	15—16		
6	16—17		

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी अन्य वाहन पर प्रथम वाहन चालक हेतु आवेदन नही किया गया है।

द्वितीय जिप्सी चालक का नाम व हस्ताक्षर
दिनांक :......................... स्थान ....

7. कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन स्वामी के पंजीकृत वाहन का वर्षवार विवरण *(निम्नलिखित तालिका में प्रत्येक वर्ष का विवरण दें तथा जिस वर्ष वाहन पंजीकृत नही हुआ है उसमें ''पंजीकृत नही' अनिवार्यतः लिखें।)*

क्र.सं0.	पंजीकरण वर्ष कार्बेट टाइगर रिजर्व के अर्न्तगत	पंजीकृत वाहन संख्या (आर0टी0ओ)	कार्बेट टाइगर रिजर्व की पंजीकरण संख्या (चिट संख्या)
1	11—12		
2	12—13		
3	13—14		
4	14—15		
5	15—16		
6	16—17		

मेरे द्वारा संलग्न दिशा निर्देशों का भलिभॉति अवलोकन कर लिया गया है, एवं मैं इन दिशा निर्देशों के पालन हेतु सहमत हूँ। उक्त समस्त विवरण (वाहन चालको द्वारा दिये गये विवरण सहित) मेरे संज्ञान में है तथा पूर्ण रूप से सही है यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी गई तो उसके लिए मैं स्वंय उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :......................... स्थान ....

फोन /मोबाइल नं0 ....

वाहन/जिप्सी स्वामी का नाम व हस्ताक्षर

<u>चैक लिस्ट</u> : इस आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख /प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

1. आर0सी0।
2. आर0टी0ओ0 द्वार प्रदत्त टैक्सी परमिट संख्या।
3. बीमा प्रपत्र।
4. वाहन स्वामी एवं वाहन चालकों के दो–दो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो (फोटो के पीछे नाम भी अंकित करें)।
5. प्रदूषण प्रमाण पत्र।
6. चालकों के वैध व्यावसायिक वाहन चालन प्रमाण पत्र।
7. वाहन चालकों के चरित्र प्रमाण पत्र।

*माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट संख्या 2632/2016 **(M/S)** प्रेम सिंह मेहरा एवं अन्य बनाम राज्यादि में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2017 व तदोपरान्त दायर विशेष अपील संख्या 541/2017 पवनपुरी एवं अन्य बनाम प्रेम सिंह मेहरा एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीतल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2017 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 628/29–1 देहरादून दिनाक 05 सितम्बर 2017 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु वाहनों के पंजीकरण विशयक जारी किये गये संशोधित दिशा–निर्देशों।*

रिट याचिका संख्या–2632/2016 में दिये गये आदेश दिनांक 05.07.2017 व रिट याचिका संख्या–541/2017 में दिये गये आदेश दिनांक 25.08.2017 के क्रम में इस कार्यालय के संख्या–1638/15–1 दिनांक 02.12.2013 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु वाहनों पंजीकरण विषयक दिशा–निर्देशों में संशोधन निम्नानुसार किया जाता हैः–

बिन्दु सं0–01:– ''कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के संचालन हेतु उन्ही व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण किया जायेगा, जिसके पास न्यूनतम तीन वर्ष तक कार्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी का संचालन वाहन स्वामी या वाहन चालक के पास अनुभव हो।

बिन्दु सं0–02:– ''पंजीकरण वाहन स्वामी के नाम पर माह सितम्बर से अगले वर्ष अगस्त तक के लिए किया जा सकेगा।''

बिन्दु सं0–03:– ''एक समय में अधिकतम 250 वाहनों का पंजीकरण किया जायेगा। यदि 250 से अधिक वाहनों के वैध प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में 250 वाहनों का चयन पारदर्शिता के साथ लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

बिन्दु सं0–4:– ''पंजीकरण हेतु संबंधित वाहन का उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अर्न्तगत पंजीकरण, ट्रांसपोर्ट विभाग का व्यावसायिक परमिट, प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा समुचित फिटनेस आदि होना अनिवार्य होगा।

बिन्दु सं0–05:– ''वाहन का सॉफ्ट टॉप तथा 4 व्हील ड्राइव होना अनिवार्य है।

बिन्दु सं0–06:– ''वाहन का निर्धारित रंग (ऑलिव ग्रीन) होना चाहिए।

बिन्दु सं0–07:– ''प्रत्येक वाहन के साथ अधिकतम दो चालकों का भी पंजीकरण किया जायेगा। चालकों के पास वैध व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। पंजीकृत वाहन चालको के अतिरिक्त किसी अन्य को कार्बेट टाइगर रिजर्व पर्यटन जोन में उक्त वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होगी। पंजीकृत वाहन चालकों के लिए दिशा–निर्देश पृथक से संलग्न किये गये है। ऐसे वाहन जिनके वाहन स्वामियों का अनुभव तीन वर्ष से कम है, उन वाहन स्वामियों व दोनो वाहन चालकों का अनुभव कम से कम तीन वर्ष होना अनिवार्य है।''

बिन्दु सं0–08:– ''प्रत्येक वाहन में फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य होगा। पंजीकृत चालकों को कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा संचालित फर्स्ट एड प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

बिन्दु सं0–09:– ''यह वाहन स्वामियों का पूर्ण दायित्व होगा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन जोन में प्रवेश के समय वाहन के सभी इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल भाग भली भांति कार्य कर रहे हों। फोर (4) व्हील ड्राइव भली भांति कार्य कर रहा हो तथा स्पेयर टायर (स्टेपनी) तथा टूल बॉक्स आदि अच्छी हालत में हों।

बिन्दु सं0–10:– ''सभी वाहनों पर कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा निर्धारित वाहन संख्या का स्टीकर/प्लेट लगाया जाना आवश्यक होगा।

बिन्दु सं0–11:– ''वाहनो के लिए निम्नानुसार उत्सर्जक मानकों का निर्धारण किया जाता हैः–

(i) जो वाहन कार्बेट टाइगर रिजर्व में विगत वर्ष तक पंजीकृत रह हैं उनमे से सबसे पुराने 50 वाहनो को जो भारत स्टेज 2 (यूरो 2) उत्सर्जक मानकों के अनुरूप नही हो, वर्ष 2013–14 में पंजीकरण नही दिया जायेगा परन्तु उनके संचालन यदि उनके स्थान पर अन्य वाहन पंजीकृत कराना चाहें, जो भारत स्टेज 2 (यूरो 2) उत्सर्जक मानको के अनुरूप हो तो उन्हे पंजीकृत किया जायेगा।

(ii) यदि ऐसे वाहन स्वामी अन्य किसी उत्सर्जक मानकों के अनुरूप वाले वाहन का पंजीकरण कराना चाहते है तो उन्हे नये पंजीकरण वाहन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) पर्यटक वाहनों के पंजीकरण में उन वाहन स्वामियों को जिन्होने विगत तीन वर्षो में सन्तोषजनक सेवाएं प्रदान की हो, उन्हे पूर्व में पंजीकृत वाहनों की संख्या की सीमा तक वरीयता दी जायेगी, बशर्ते वे अन्य समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हो।

(iv) वर्ष 2014–15 से पंजीकरण हेतु प्रस्तुत प्रत्येक पर्यटन वाहन को न्यूनतम भारत स्टेज 2 (यूरो 2) उत्सर्जक मानको के अनुरूप होने पर ही कार्बेट टाइगर रिजर्व में पंजीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

(v) वर्ष 2014–15 से पंजीकरण हेतु प्रस्तुत प्रत्येक अन्य नये पर्यटक वाहन को भारत स्टेज 3 (यूरो 3) उत्सर्जक मानको के अनुरूप होने पर ही कार्बेट टाइगर रिजर्व में पंजीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

(vi) वर्ष 2017–18 से प्रत्येक पर्यटक वाहन को न्यूनतम भरत स्टेज 3 (यूरो 3) उत्सर्जक मानको के अनुरूप होने पर ही कार्बेट टाइगर रिजर्व में पंजीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

बिन्दु सं0–12:– ''इन दिशा निर्देशों/ नियमों में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है अथवा किसी विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है।''

बिन्दु सं0–13:– ''इन दिशा निर्देशों/नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्व कार्यवाही, जिसमें वाहन तथा उक्त वाहन के साथ पंजीकृत वाहन चालक का पंजीकरण स्थगित करना अथवा निरस्त करना सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे किसी मामले में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व का निर्णय अन्तिम होगा।''

बिन्दु सं0–14:– ''उक्त दिशा निर्देश वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 28 (1 व 2) के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। अतः उक्त दिशा निर्देशों/नियमों की अवहेलना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अर्न्तगत दी गयी अनुमति का उल्लंघन होगा और उक्त कृत्य के विरूद्व तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।''

बिन्दु सं0–15:– ''आवेदन प्राप्त करने हेतु न्यूनतम दो समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाय, जिनका कार्बेट टाइगर निकटवर्ती क्षेत्र में व्यापक वितरण है।''

बिन्दु सं0–16:– ''एक व्यक्ति एक परमिट के सिद्वान्त पर ही अन्तिम आवंटन किया जायेगा। यदि उक्त सिद्वान्त के आधार पर 250 से कम वैध आवेदन प्राप्त होते हैं तो उक्त स्थिति में एक व्यक्ति एक परमिट के सिद्वान्त को शिथिल किया जा सकता है। परन्तु शिथलीकरण में यह प्रतिबन्ध रहेगा कि सर्वप्रथम समस्त द्वितीय आवेदकों के आवेदन का निस्तारण किया जाय, तत्पश्चात् तृतीय आदि का निस्तारण किया जाय जब तक 250 वाहनों का पंजीकरण नही हो जाता है।''

बिन्दु सं0–17:– ''आवेदन हेतु प्रकाशन, उन्हें प्राप्त करना तथा प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर अन्तिम सूची जारी करने के कार्य हेतु पार्क वार्डन अथवा निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा नामित न्यूनतम सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।''

बिन्दु सं0–18:– ''तीन वर्ष के अनुभव का आधार पूर्व में कार्बेट टाइगर रिजर्व के अर्न्तगत वाहन एवं चालक पंजीरण को माना जायेगा।''

बिन्दु सं0–19:– ''वाहन पंजीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र तथा पंजीकरण के निर्णय को कार्बेट टाइगर रिजर्व की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।''

वाहन/जिप्सी स्वामी का नाम व हस्ताक्षर...ह0...

चालक–1 का नाम व हस्ताक्षर..ह0...

चालक–2 का नाम व हस्ताक्षर..ह0..

कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु वाहन चालकों के पंजीकरण विषयक दिशा निर्देश

1. कार्बेट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत पर्यटन संचालन में वाहन चालकों के पंजीकरण हेतु उनके पास व्यावसायिक वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। उक्त पंजीकरण किसी एक वाहन हेतु अनुमन्य होगा।
2. पंजीकृत वाहन चालकों को कार्य के समय टाइगर रिजर्व द्वारा जारी परिचय पत्र गले में पहनना अनिवार्य होगा। निर्धारित बैच व नेम प्लेट आदि भी लगाना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक वाहन चालक को पंजीकरण हेतु दो स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पंजीकरण के समय छः माह से अधिक पुराना न हो।
4. पंजीकृत वाहन चालकों को सदैव निर्धारित स्वच्छ वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। बिना वर्दी के प्रवेश निषेध होगा।
5. पंजीकृत वाहन चालकों द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व के समस्त नियमों, निर्देशों तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन करेगें एवं इस हेतु वे पर्यटकों से भी विनम्र व्यवहार करते हुए अनुपालन करांऐगे। पर्यटकों द्वारा किसी नियम/कानून की अवहेलना की स्थिति में पंजीकृत वाहन चालकों को इसकी सूचना तत्काल टाइगर रिजर्व प्रशासन व स्थानीय सुरक्षा स्टाफ को देनी होगी।
6. दैनिक भ्रमण के दौरान पर्यटक वाहनों में खान पान की सामग्री ले जाने को हतोत्साहित किया जाय। यदि किन्हीं कारणों से कोई खान पानसामग्री वाहन में ले जायी जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री जंगल में न फेंकी जाय तथा समस्त पैकेट, रेपर, बोतल इत्यादि को कार्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर लाकर निस्तारित करना होगा पंजीकृत वाहन चालक कार्बेट टाइगर रिजर्व को स्वच्छ रखने तथा किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त रखने में टाइगर रिजर्व प्रशासन का सहयोग करेंगे।
7. पंजीकृत वाहन चालक भ्रमण के दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का मद्यपान, धूम्रपान व अन्य मादक पदार्थों जैसे गुटखा, खैनी आदि का प्रयोग नही करेंगे और न ही साथ रखेंगें। इस निर्देश का विशेष रूप से कठोरता से अनुपालन किया जायेगा।
8. पंजीकृत वाहन चालक किसी भी स्वागत कार्यालयों में प्रवेश नहीं करेंगें। पंजीकृत वाहन चालक पर्यटकों से निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त किसी भी धनराशि की मांग नही करेंगे। पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की अनुचित धनराशी की मांग अथवा दुर्व्यवहार की शिकायत की पुष्टि होने पर नेचर गाईड तथा नेचुरलिस्ट के विरूद्ध कठोर कार्यवाही तथा पंजीकरण के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।
9. पंजीकृत वाहन चालकों को कार्बेट टाइगर रिजर्व के किसी भी पर्यटन जोन में पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु शुल्क पूर्व में निर्धारित किया गया है, इसकी भ्रमण अवधि 4 घन्टे से कम नही होगी।
10. पंजीकरण हेतु पंजीकृत वाहन चालक को रूपया 1,00,000/— (एक लाख) का स्वयं के अपने व्यय पर दुर्घटना बीमा करवाना होगा। बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करने पर ही पंजीकरण किया जायेगा।
11. दिवसीय भ्रमण के दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मोबाइल बन्द रखा जाना होगा जिसका उपयोग किसी विशेष अथवा सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर ही अनुमन्य होगा।
12. पंजीकृत वाहन चालकों को विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त वाहन को अधिकतम 15 किमी0 प्रतिघण्टा की चाल से नियंत्रित करना होगा तथा चेकिंग के दौरान गति अधिक पाये जाने पर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
13. समस्त पंजीकृत वाहन चालकों को कार्बेट टाइगर रिजर्व के समस्त नियमों व कानूनों का अध्ययन व जानकारी होना अनिवार्य है।
14. इन नियमों में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है अथवा किसी विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है।
15. इन नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही जिसमें पंजीकरण स्थगित करना अथवा निरस्त करना सम्मिलित हो, कर सकते हैं। ऐसे किसी मामले में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व का निर्णय अन्तिम होगा।
16. उक्त दिशा निर्देश वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 28 (1 व 2) के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। अतः उक्त दिशा निर्देशों/नियमों की अवहेलना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी गयी अनुमति का उल्लंघन होगा और उक्त कृत्य के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

चालक–1 का नाम व हस्ताक्षर ....ह0........................चालक–2 का नाम व हस्ताक्षर.......................................ह0...